24/6/2021	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली के साथ हम किस रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 09/2019 आर सी एम एस नं. 2019/00023 तारीख रजू 27.02.2019

1 साबू पुत्र रतनी पुत्री झण्डू पत्नी रामलाल
2. खुन्नी पुत्रान रतनी पुत्री झण्डू पत्नी रामलाल
3. यादराम पुत्र बाबू पुत्र रतनी
4. अमरसिंह पुत्र बाबू पुत्र रतनी

} जाति माली निवारीयान करौली हाल आवाद रिठौली तहसील हिण्डौन सिंटी जिला करौली

–सायलान

बनाम

1 रामू पुत्र मोहर सिंह पुत्र मंगलवाई पुत्री झण्डू पत्नी रतनलाल
2 रामरति बेवा मोहरसिंह पुत्र मंगलवाई पुत्री झण्डू पत्नी रतन

} जाति माली निवासी करौली तहसील व जिला करौली

3.सुआवाई पत्नि दयालू पुत्री मगंलवाई पत्नी रतन जाति माली निवासी करौली हाल आबाद नाजर का मंदिर खोहरी तहसी करौली

4.देवीलाल पुत्र रामहेत
5. रामदयाल पुत्र देवीलाल
6. हरदयाल पुत्र देवीलाल
7. शिवदयाल पुत्र देवीलाल
8. रज्जू पुत्र देवीलाल
9. मीरा देवी पत्नि रामदयाल

} जाति माली निवासी गणेश गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

10. मोहरो पुत्री नारायण पत्नी अमरलाल जाति माली निवासी अटा तहसील व जिला करौली
11. सीता पुत्री नारायण पत्नि हरिचरण जाति माली निवासी नदी भद्रावती करौली
12. केरेन पुत्री नारायण पत्नी बृजमोहन जाति माली निवासी दुर्गसीघटा नदी बरखेडा तहसील व जिला करौली राज0
13. अनिल पुत्र राजो पुत्री नारायण पत्नी मूलचन्द जाति माली निवासी मासलपुर
14. पूजा पत्नी गोपाल पुत्री राजो पुत्री नारायण पत्नी मूलचन्द जाति माली निवासी हाल शिकारगंज करौली तह0 करौली
15. संजू उर्फ संजय पुत्र विनोद पुत्र नारायण जाति माली निवासी करौली तहसील करौली
16. रामेश्वर पुत्र विनोद पुत्र नारायण जाति माली निवासी करौली
17. चेतन पुत्र विनोद पुत्र नारायण आयू 11 साल | नावालि[illegible] प्रा0 संरक्षिका
18. संजना पुत्र विनोद पुत्र नारायण आयू 15 साल | [illegible] करौली
19. भूरी बेवा विनोद पुत्र नारायण जाति माली [illegible] करौली
20. विद्या देवी पत्नी जमनालाल जाति माली निवासी अटा तहसी[illegible] जिला करौली राज0
21. सूवेदारसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी तिवाडी की कोठी के पीछे करौली तहसील व जिला करौली
22. शिवसिंह पुत्र प्रेंमसिंह जाति माली निवासी गुलरघटा करौली तहसील व जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

23. पुरूषोत्तम पुत्र लालरिया जाति माली निवासी झीलका हार तहसील व जिला करौली
24. रामस्वरूप पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी मैंगजीन कृषि उपज मंडी के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0
25. गंगाराम सैनी पुत्र भौरूलाल जाति माली निवासी फकीरा की बगीची के पास करौली तहसील व जिला करौली
26. निरंजन पुत्र हावू लोधा जाति लोधा निवासी मेगजीन के पास झील का हार करौली तहसील व जिला करौली राज0
27. धर्मसिंह पुत्र सरवन लोधा जाति लोधा निवासी चन्द्र नगर लोधा कालोनी करौली तहसील व जिला करौली
28. सीताराम पुत्र सावंलिया जाति माली निवासी गुनेसरा तहसील व जिला करौली राज0
29. सतीषचन्द्र गर्ग पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति महाजन निवासी गंगापुरसिटी तह0 गंगापुर सिटी जिला करौली सवाईमाधोपुर

30. गुलाव पुत्र लोहरे 31. लक्ष्मी पुत्र गुलाव 32. शिबचरण पुत्र गुलाब	} जाति माली निवासी करौली हाल डंगरिया तह0 करौली
33. धर्मी 34. दीनदयाल 35. शिम्भू 36. दिनेश	} पुत्रान गुलाब निवासी करौली हाल पातरी डंगरिया तहसील व जिला करौली राज0

37. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली

गैरसायलान

<u>दर. धारा 212 आर.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा</u>

उपस्थिति 1. श्री गोविन्द चतुर्वेदी वकील सायलान
2. श्री श्याम प्रकाश गर्ग वकील गैरसायलान
3. श्री रामू वकील गैरसायलान
4. श्री विष्णु चंद बंसल वकील गैरसायलान

<u>निर्णय</u> दिनांक 24.06.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उनवानी दावा न्यायालय [illegible] किया जा चुका है जो दस्तावेजी सबूतो पर आधारित है सायलान का प्राइमाफेसी केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीयक्षति सायलान के पक्ष मे है सायलान व गैरसायलान नं0 1 ता 3 के नाना झण्डू पुत्र गुलबी के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी सं0 9091, 9092, 9093, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102, 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, कुल किता 22 कुल रकवा 15 वीघा 06

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(3)

विस्वा वाके कस्वा करौली पटवार हल्का नं0 10 तह0 करौली में स्थित है। उक्त आराजीयात पर सायलान व गैरसायलान नं0 1 ता 3 काबिज काश्त बतौर खातेदार है। सायलान रतनी, मंगलबाई दोनो सगी बहिने थी और मृतक झण्डू की पुत्री थी झण्डू के कोई पुत्र औलाद नही थी झण्डू की समस्त चल व अचल सम्पति पर सायलान की मॉं रतनी व गैरसालयान नं0 1 ता 3 की मॉं व पितामही व साक्ष मंगलवाई झण्डू के साथ काबिज काश्त बतौर वारिस रही है आराजी मे रतनी व मंगलवाई का 1/2–1/2 हिस्सा खातेदारी रही है झण्डू के पिता गुलबी के तीन लडके लौहरे, रामहेत व झण्डू थे जो गुलबी के जीवनकाल मे ही अलग–अलग है और अलग–अलग रहकर अलग–अलग कमाई करते थे और एक दूसरे से कोई सरोकर नही था सालयान ने सायलान व गैरसायल न0 1 ता 3 का सजरा प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है। विवादित आराजी के सम्बत 2015 में सायलान व गैरसायलान नं. 1 व 3 के नाना झण्डू से छिपाते हुये गैरसायलान नं. 30 के पिता लौहरे ने वक्त सेटिलमेंन्ट सम्बत 2015 में विवादित आराजीयात के झण्डू के साथ 1/2 हिस्से के खातेदारी अनाधिकार तौर पर बन्दोवस्त कमीयों से साजिश कर कर करा लिये एवं झण्डू के मरने के बाद गैरसायलान नं0 4 व मृतक नारायण ने अपने हक मे विवादित आराजीयात के अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज राजस्व कर्मियों से साजिश कर कर सायलान व गैरसायलान नं0 1 ता 3 से छिपाते हुये अपनें हक में करा लिये और नारायण के मरने के बाद नारायण के पुत्र पुत्रीयान गैरसायन नं0 10 ता 20 के अपने हक में एवं गैरसायल नं0 5 ने अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज करा लिये है। और गैरसायल नं0 4 व 10 ता 30 ने सायलान से छिपाते हुये आराजी के कुछ हिस्से को गैरसायल नं0 9 व 21 ता 29 को अनाधिकार तौर पर विक्रय कर दिया है जिसकी जानकारी सायलान को दिनांक 10.09.2018 को पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी लेने पर हुई तब सायलान ने दिनांक 12.09.2018 को सैटिलमैन्ट पूर्व का राजस्व रिकार्ड व सेटिलमेंन्ट संवत 2015 के राजस्व रिकार्ड का नकल आवेदन कर दिनांक 15.09.2018 को नकल प्राप्त हुयी और दिनांक 24.10.2018 को सेंटिलमेंन्ट बाद के राजस्व रिकार्ड का नकल आवेदन कर दिनांक 02.11.2018 को नकले प्राप्त हुयी तब सायलान को उक्त अनाधिकार कार्यवाही की जानकारी हुई तक सायलान ने दिनांक 06.11.2018 को गैरसायलान 4,9 ता 30 से सायलान [illegible] ता 3 के हक में विवादित अजारी के 1/2–1/2 हिस्से [illegible] की एवं सायलान के 1/2 हिस्से का बटवारा क[illegible] इन्कार हो गये और समस्त गैरसायलान एक राय होकर झगडा फसाद करने पर आमादा हो गये और विवादित आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करकर सायलान को 1/2 हिस्से से जबरन वेदखल कराने की ऐलानिया धमकी दी है इसलिए सायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

गैरसायलान को पाबन्द कराने के अधिकारी है। गैरसायलान के हक में वादग्रस्त आराजीयात के हुये अनाधिकार इन्द्राज व हस्तांतरण विक्रय पर हक हकूक सायलान पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है सायलान पर बाध्यकारी नही है। सायलान का अब आराजी को प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के साथ संयुक्त काश्त करना संभव नही रहा है। गैरसायलान नं0 1 ता 3 गैरसायलान नं0. 4, 9 ता 30 से साज किये हुये है गैरसायलान भूमि को कृषि से अकृषि भूमि बनाने पर उतारू हो रहे है और दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर व निर्माण करने कराने पर आमादा है जिससे अजनवी केतागण के साथ भूमि को संयुक्त काश्त करने मे परेशानी पैदा होगी। गैरसायलान की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक सायलान पर भारी आघात है सायलान को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है सायलान गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है अन्त मे सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।जिसमें गैरसायलान जरिये वकालान्तन उपस्थित हुये और जबाव प्रार्थना पत्र पेश किये।

गैरसायलान नं0. 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र सायलान को स्वीकार करते हुये कथन किया है कि विवादित आराजीयात का कस्वा करौली में स्थित होना एवं सायलान व गैरसायल नं0 1 ता 3 के नाना झण्डू पुत्र गुलबी के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कस्बे की होना उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा सायलान का व 1/2 हिस्सा गैरसायलान नं0 1 ता 3 का होना सही है और इसी अनुसार मौके पर सायलान व गैरसायलान नं0 1 ता 3 काविज खातेदार काश्तकार है। झण्डू की दो लडकिया मगलवाई व रतनी होना सही है रतनी बडी थी जिसके वारिसान सायलान है मंगलवाई छोटी थी जिसके वारिसान गैरसायल नं0 1 ता 3 है झण्डू के कोई नरीना औलाद नही होना सही है झण्डू की समस्त चल व अचल सम्पति पर सायलान की माँ रतनी व गैरसायलान की पूर्वज मंगलवाई का काबिज होना सही है और झण्डू के भाई लोहरे व रामहेतका गुलबी के समय से अलग अलग रहकर कमाई करना सही है झण्डू की सम्पति से गुलबी के लडके लोहरे व रामहेत का व उसकी संन्तान का कोई सरोकार [illegible] व सजरा सही होना स्वीकार है। विवादित आराजी से गैरसायलान नं0 4 ता 30 का [illegible] वास्ता किसी प्रकार का नही है गैरसायल नं0 4 व उसका भाई मृतक [illegible] व गैरसायल नं0 30 गुलाब का पिता लौहरे वेहद चालाक किस्म के लोग रहे है वर्तमान मे भी चालाकी पूर्ण तरिके से गैरसायलान से साजकर हमे नुकसान पहुचाना चाहते है और अपने नाम आप खातेदारी इन्द्राज राजस्व कर्मीयो से साज कर करा लिये है जो गलत है और उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(5)

खातेदारी इन्द्राज हजफ कियो जाने योग्य है गैरसायलान नं0 3 व 4 ता 19 व 30 ता 36 से साज किये हुये है। हमे धोखा देकर अनुचित लाभ लेना चाहते है। गैरसालन नं0 30 का पातरी में रहना व गैरसायल नं0 4 व उसके वारिसान एवं उसके भाई मृतक नक्सा व उसके वारिसान का ठा0 प्रताप शिरोमणि जी की जमीनो को जोतना सही है विवादित आराजीयात में सायलान को 1/2 हिस्से का व गैरसायल नं0 1 ता 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना व हमारे नाम खातेदारी है। अन्त में दर0 सायलान घोषणा कर हमारे नाम इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। अन्त में दर0 सायलान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

गैरसायल नं0 3 ने प्रार्थना पत्र सायलान के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि सायलान का ना तो प्राईमाफेसी केस है ना ही सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में है दावा व दर0 सायलान हर सूरत खारिज किये जाने योग्य है विवादित आराजीयात कस्वा करौली तह0 करौली में है सायलान का उक्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जाकाश्त नही है ना कभी रहा है ना अब है सायलान विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार नही है खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईटस नही है झण्डू के कोई मरीना पुत्र औलाद नही है सायलान की मॉ. व पितामही रतनी झण्डू की पुत्री नही है बल्कि झण्डू की पूत्री एक मात्र गैर सायला. नं0 3 का मौ मंगलवाई थी रतन मंगलवाई की सगी बहिन नही थी ना ही झण्डू की पुत्री है झण्डू के मंगलवाई के अलावा कोई सन्तान पुत्र या पुत्री पैदा नही हुयी है रतनी झण्डू की पैदाईस पुत्री नही है रतनी कभी भी विवादित आराजीयात पर काबिज नही रही है। मंगलवाई गैरसायलान नं0 4,5 व 30 के साथ संयुक्त रूप से काबिज अपने जीवन काल तक रही है मंगलवाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 02.01.2000 को 100/रूपये के स्टाम्प पर गैरसायल नं0 5 रामदयाल की सेवा से खुश होकर मेरे समक्ष वसीयतनामा सोहनलाल पुत्र धीस्या माली करौली से तहरीर कराकर अपना अंगुठा निशानी करकर गवाहन बाबूलाल पुत्र सूसरीया व दुर्गालाल पुत्र ऑंकार लाल माली निवासी करौली के गवाही के हस्ताक्षर कराकर उनकी उपस्थिति में वसीयतनामा को सुन व समझकर सही होना स्वस्थचित से स्वीकार करकर वसीयत का गवाहन से अनुप्रमाणित करवाकर गैरसायल नं0 5 को मेरे समक्ष सुपूर्द कर दिया था और दिनांक 02.01.2000 से मंगलवाई झण्डू के हिस्से की आराजीयात पर गैरसायल नं0 5 काबिज काश्त कर रहा है गैरसायल नं0 3 का भी उक्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा व कब्जा नही है ना ही रहा है मृतक मंगलवाई का एक मात्र वारिस गैरसायल नं0 5 रामदयाल -वसीयती वारिस है और काबिजकाश्त आराजीयात व जायदाद पर है गैरसायलान नं0 1 व 2 का कभी कोई हक व हिस्सा व कब्जा विवादित आराजी में नही है गैरसायल नं 1 ता 3 को अनाधिकार तौर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पक्षकारान मुकदमा मे बनाया गया है गुलबी के तीनो लडके झण्डू के जीवनकाल तक शामिल रहे है और झण्डू के मरने के बाद लोहरे व रामहेत अलग-अलग रहने लगे थे झण्डू के जीवनकाल तक कमाई तीनो भाई सयुक्त रूप से करते थे सजरा में सायलान ने रतनी का झण्डू की पुत्री होना गलत दर्ज किया गया है मोहरसिंह का स्वर्गवास मंगलवाई के झण्डू के जीवनकाल में ही हो चुका था झण्डू के स्वर्गवास के समय मंगलवाई व मय गैरसायल नम्बर 3 ही जीवीत थे रतनी का विवादित आराजी मे 1/2 हिस्सा हक खातेदारी कभी नही रही है सायलान ने झण्डू की रतनी को पुत्री बताते हुए व अपने को रतनी का पुत्र बताते हुए गुलबी के साथ गलत रूप से आराजी को हडपने की चेष्टा से असत्य तौर पर सजरा में दर्ज किया है सायलान मृतक झण्डू के वारिसान नही है सम्बत 2015 में झण्डू के साथ लोहरें व रामहेत तीनो द्वारा आराजी को संयुक्त काश्त करते एवं आराजी में पैतृक होने से वक्त सेटिलमेन्ट लोहरें का नाम खातेदारी में सही दर्ज हुआ है वल्कि रामहेत का नाम राजस्व कर्मियों से सहवन से दर्ज करने में रह गया था राजस्व कर्मियों से साज कर मात्र लोहरे द्वारा झण्डू से छिपाते हुए कराने का कोई प्रश्न नही है बल्कि झण्डू की सहमति से ही नाम खातेदारी में दर्ज हुआ था जिसे झण्डू ने अपने जीवन काल तक सही मानते हुए अपने जीवन काल में कभी भी चुनौती नही दी है ना ही झण्डू की पुत्री मंगलवाई ने चुनौती दी है ना मुझ गैरसायल नम्बर 3 ने चुनौती दी है रामहेत के वारिसान के हक में गुलाव से राजीनामा से खातेदारी इन्द्राज हुए है और गुलाब ने रामहेत का हिस्सा राजीनामा से स्वीकार किया है तीनो का समान हिस्सा 1/3- 1/3 सेटिलमेन्ट पूर्व सम्बत 2010 से पूर्व से ही रहा है और झण्डू, रामहेत, लोहरे खातेदार काश्तकार उक्त आराजीयात के हमेशा हमेशा से रहे है सायलान का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल नम्बर 1 ता 3 का भी मंगलवाई द्वारा गैरसायल नम्बर 5 को वसीयतनामा तहरीर करा देने से कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल नम्बर 4,5,10 ता 19 के हक में विधिवत खातेदारी इन्द्राज हुए है गैरसायल नम्बर 10 ता 19 को भूमि विक्रय करने का विधिक अधिकार है सायलान गैरसायलान के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है अंत में प्रार्थनापत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

गैरसायल नम्बर 4 ता 9 ने सायल के प्रार्थनापत्र [illegible]कार करते हुए कथन किया है कि सायलान का उक्त आराजी पर किसी प्रकार [illegible] नही है ना कभी रहा है ना अब है सायलान भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं है रिवेन्यू रिकार्ड ऑफ राईट नही है मृतक नारायण गैरसायल नम्बर 4 देवीलाल व मृतक मंगलवाई द्वारा गैरसायल नम्बर 30 के विरूद्ध दिनांक 13.03.1999 को प्रस्तुत दावा उनवानी नारायण वगै0 बनाम गुलाव बगै0 में रतनी का झण्डू की पुत्री होना दर्ज नही है झण्डू की एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 18:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मात्र पुत्री मंगलवाई का नाम दर्ज है जिससे भी मंगलवाई का झण्डू की पुत्री होना व रतनी का झण्डू की पुत्री नही होना सावित है उक्त वाद का निर्णय दिनांक 16.02.2018 को हो चुका है झण्डू पुत्र गुलवी के कोई नरिना पुत्र ओलाद नही थी सायलान की मॉ व पितामही रतनी झण्डू की पुत्री नही है झण्डू की एक मात्र पुत्री गैरसायल नम्बर 3 की मॉ मंगलवाई थी रतनी मंगलवाई की सगी बहन नही थी मंगलवाई गैरसायल नम्बर 4,5 व 30 के साथ संयुक्त रूप से काविज काश्त अपने जीवनकाल तक रही है मंगलवाई ने अपने जीवन काल में दिनांक 02.01.2000 को 100 रूपये के स्टाम्प पर गैरसायल नम्बर 5 रामदयाल की सेवा से खुश होकर गैरसायल नम्बर 3 के समक्ष वसीयतनामा सोहनलाल माली से तहरीर करा कर अपना अंगुठा निसानी कर कर गवाहान बाबूलाल व दुर्गालाल माली करौली के गवाही के हस्ताक्षर करा कर उनकी उपस्थिति में वसीयतनामा को सुन व समझ कर सही होना विना किसी दबाव के स्वस्थ्यचित से स्वीकार कर कर वसीयत का उक्त गवाहो से अनुप्रमाणिकरण कर गैरसायल नम्बर 5 को गैरसायल नम्बर 3 के समक्ष सुपुर्द किया था ओर दिनांक 02.01.2000 से मंगलवाई व झण्डू की आराजी पर गैरसायल नम्बर 5 काबिज काश्त रहा है गैरसायल नम्बर 3 का भी भूमि में कोई हक हिस्सा व कब्जा नही है ना कभी रहा है मंगलवाई का एक मात्र वारिस गैरसायल नम्बर 5 वसीयति वारिस है और काबिज जायदाद है गैरसायल नम्बर 1 व 2 का भी कोई हक हिस्सा व कब्जा भूमि से नही है गुलवी के तीनो लडके झण्डू के जीवनकाल तक शामिल रहे है और झण्डू के मरने के बाद लोहरे व रामहेत अलग-अलग रहने लगे थे झण्डू के जीवनकाल तक कमाई तीनो भाई सयुक्त रूप से करते थे सजरा में सायलान ने रतनी का झण्डू की पुत्री होना गलत दर्ज किया है मोहरसिंह का स्वर्गवास मंगलवाई के व झण्डू के जीवनकाल में ही हो चुका था झण्डू के स्वर्गवास के समय मंगलवाई व गैरसायल नम्बर 3 भी जीवित थे रतनी का भूमि में 1/2 हिस्सा हक खातेदारी कभी नही रहा है रतनी झण्डू की पुत्री नही है सायलान नें झण्डू की रतनी को पुत्री बताते हुए अपने को रतनी का पुत्र बताते हुए गुलवी के साथ गलत रूप से आराजीयात को हडपने की चेष्टा से असत्य तोर पर सजरा में दर्ज किया है सायलान मृतक झण्डू के वारिस नही है रतनी मृतक झण्डू की पुत्री नही है [illegible] 2015 में [illegible] के साथ लोहरे व रामहेत तीनो के द्वारा आराजीयात को [illegible] काश्त [illegible] भूमि पैतृक होने से बक्त सैटिलमेन्ट लोहरे का नाम खातेदारी में [illegible] दर्ज [illegible] बल्कि रामहेत का नाम राजस्व कर्मियों से सहवन दर्ज करने से रह गया था राजस्व [illegible] से साजिस कर कर नाम लोहरे द्वारा झण्डू से छुपाते हुए कराने का कोई प्रश्न नही था बल्कि झण्डू की सहमति से ही नाम खातेदारी में दर्ज हुआ था जिसे झण्डू ने अपने जीवनकाल तक सही होना मानते हुए अपने जीवनकाल में कभी भी चुनौती नही दी है ना ही झण्डू की पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

18

मंगलवाई ने चुनौती दी है ना गैरसायल नम्बर 3 ने चुनौती दी है रामहेत के वारिसान के हक में गुलाव से राजीनामा से खातेदारी इन्द्राज हुए है ओर गुलाव ने रामहेत का हिस्सा राजीनामा से स्वीकार किया है तीनो का समान हिस्सा 1/3– 1/3 सेटिलमेन्ट पूर्व सम्बत 2010 से पूर्व से ही रहा है ओर झण्डू, रामहेत, लोहरे खातेदार काश्तकार उक्त आराजीयात के हमेशा हमेशा से रहे है सायलान का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल नम्बर 1 ता 3 का भी मंगलवाई द्वारा गैरसायल नम्बर 5 को वसियतनामा तहरीर तकमीम करा देने से कोई हक हिस्सा नही है तब छिपाते हुए खातेदारी इन्द्राज कराने का कोई प्रश्न पैदा नही होता है गैरसायल नम्बर 4,5,10 ता 19 व 30 के हक में विधिवत खातेदारी इन्द्राज हुए है गैरसायल नम्बर 10 ता 19 को भूमि को विक्रय करने का एवं गैरसायल नम्बर 9 व 21 ता 29 को भूमि क्रय करने का विधिक अधिकार है सायलान ने फर्जी वारिस झण्डू के बन कर रतनी को झण्डू की पुत्री बताते हुए भूमाफियाओं से मिल कर दावा व प्रार्थनापत्र झुठे बादकरण व मनगढत वेग व निराधार तथ्य असथ्य तोर पर दर्ज कर प्रस्तुत किये है सायलान को कोई अपूर्णिय क्षति व असुविधा नही है दावा व प्रार्थनापत्र सायलान चलने योग्य नही है अंत में प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

गैरसायल नम्बर 10 ता 29 ने जवाव प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सायलान के प्रार्थनापत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि सायलान का उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है सायलान के भूमि में कोई खातेदारी हक हकूक नही है ना ही काबिज है गैरसायल नम्बर 1 ता 3 का भी विवादित आराजीयात से कोई सम्बंध नही है रतनी, मंगलवाई की बहिन नही थी ना ही झण्डू की लडकी थी झण्डू के रतनी नाम की कोई लडकी नही थी सायलान द्वारा सजरा गलत दर्ज किया गया है रतनी कभी भी विवादित भूमि पर काबिज काश्त नही रही सायलान द्वारा झूठे तथ्यों पर दावा व प्रार्थनापत्र पेश किये है रतनी झण्डू की पुत्री नही है ना ही रतनी व उसके वारिसान सायलान कभी भी भूमि पर काबिज काश्त रहे है ना वर्तमान में काबिज है जवाव दारानान गैरसायलान बोनाफाईड पर्चेजर है गैरसायल नम्बर 20 द्वारा भूमि में से खातेदार गुलाव से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा 11 विस्वा भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है गैरसायल नम्बर 21 द्वारा गुलाव से जरिये [illegible] 1 बीघा 5 विस्वा व गैरसायल नम्बर 22 प्रकाश पुत्र प्रभूलाल [illegible] विवादित आराजीयात में 24 विस्वा भूमि व गैरसायल [illegible] विस्वा भूमि एवं भूरी, रामेश्वर, चेतन,संजना भूमि में 48 वा हिस्सा जरिये [illegible]स्टर्ड वयनामा गैरसायल नम्बर 28 द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है जिसके इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में बतोर खातेदार दर्ज हो चुके है ओर योम खरीद से गैरसायलान भूमि पर वतोर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(9)

काबिज काश्त चले आ रहे है योम खरीद के साथ साविक खातेदार गुलाव गैरसायल नम्बर 30 के नाम भूमि बतोर खातेदार दर्ज थी ओर गुलाव काबिज था जवाव दारानान द्वारा काफी लम्बे समय से भूमि पर गुलाव को ही काबिज काश्त देखते चले आ रहे थे सायलान व रतनी का कोई कब्जा काश्त कभी नही रहा है ना ही रतनी का झण्डू से सम्बंध है ओर ना ही रतनी झण्डू की लडकी थी विवादित जमीन पर सायलान के कब्जे के अभाव में दावा व प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। झण्डू के एक मात्र लडकी मंगलवाई थी इसके अलावा अन्य कोई वारिस नही था रतनी झण्डू की लडकी नही थी तो सायलान को खातेदारी घोषणा का अधिकार उत्पन्न नही होता विवादित भूमि का लोहरें का कब्जा सेटिलमेन्ट से पूर्व से ही चला आ रहा था गुलाव का 3/4 हिस्सा की खातेदारी काबिज काश्त होना सही है सायलान द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ रतनी झण्डू की लडकी होने व सायलान का रतनी के वारिस होने के संदर्भ में कोई सरकारी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है रतनी द्वारा झण्डू के मरने से लेकर अपने जीवनकाल में कभी भी कोई चाराजोरी सक्षम न्यायालय में नही की ना ही किसी प्रकार का कोई वाद रतनी द्वारा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है कोई अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज गैरसायल के नही है सायलान का कोई प्राईमाफेसी पेश नही है ना ही अपूर्णिय क्षति है बल्कि अपूर्णिय क्षति सुविधा का सन्तुलव एवं प्राईमाफेसी केस पूर्णतः गैरसायलान के पक्ष में है दस्तावेजी सवूतो के आधार पर है सायलान गैरसायलान के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है गैरसायलान नम्बर 24 ता 27 द्वारा भूमि में से खातेदार गुलाब से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा 2 वींघा भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और योम खरीद से गैरसायल नम्बर 24 ता 27 बतौर खातेदार काबिज है झण्डू सन 1977 में फौत हो गया था उसके बाद भाईयो ने वारिसो के नाम नामान्तकरण खोले गये। सन् 1977 से अव तक रतनी ने कभी कोई चाराजोही अपने जीवनकाल में नही की तथा चुप रही और अव तक चुप रहने का कोई कारण दावा व दर० मे दर्ज नही है ना ही रतनी द्वारा कोई वाद अब तक पेश किया है प्रार्थनापत्र सायलान चलने योग्य नही है अंत में प्रार्थनापत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

गैरसायल नम्बर 30 ता 36 ने सायलान के प्रार्थनापत्र अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि सायलान दावा बहुत ही लचर है विवादित [illegible] सायलान की पुस्तैनी होना सायलान का बतौर खातेदार होना झण्डू [illegible] लडकी हो[illegible] मंगलवाई व रतनी सगी बहन होना, गैरसायल नम्बर 1 ता 3 [illegible] काबिज रहना रतनी व मंगलवाई 1/2– 1/2 हिस्सा होना लोहरे व झण्डू का अलग अलग होना अलग–अलग कमाई करना एक दूसरे से सरोकार नही होना सभी तथ्य गलत दर्ज किये है सजरा भी गलत दर्ज किया है झण्डू की रतनी लडकी होना भी गलत दर्ज है दिनांक 10.09.2018,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

12.09.2018, 15.09.2018, 02.11.2018 व 06.11.2018 की कहानी गलत दर्ज की गई है सम्बत 2010 से 13 की गिरदावरी से भी सायलान को कोई हकूक प्राप्त नही हो सकते है गुलाव द्वारा जमीन काश्त भी करना हमारे हक में अवैध इन्द्राज होना गलत दर्ज किया है गैरसायलान नम्बर 30 ने अपने खातेदारी व कब्जे की जमीन में से अनाधिकार हिस्सा केतागण को वेचा जा चुका है केतागण काविज है में गैरसायलान गुलाव बुढा 80 साल से ऊपर की उम्र का हू यदि जवाव दारान को किसी तरह से पाबंद किया गया तो वहुत अधिक परेसानी होगी जिसे जरिये नकद पुरा नही किया जा सकता है सुविधा का संतुलन जवावदारान के पक्ष में है विवादित आराजीयात मुझ गुलाव के पिता लोहरे की स्वअर्जित सम्पति है मुझ गुलाव के पिता लोहरे जमीनो पर सेटिलमेन्ट से पूर्व से काविज चला आ रहा है पिता लोहरे व झण्डू साथ–साथ रहते थे झण्डू के कोई लडका नही था इसलिए झण्डू की जिन्दगी में झण्डू की सेवा मुझ गुलाव मेरे पिता लोहरे ने की तथा झण्डू की एक मात्र लडकी मंगलवाई की शादी गुलाव व लोहरे ने की थी मंगलवाई को बहिन वेटी की तरह माना भात जामना भी मै गुलाव देता रहा। झण्डू फौत हो जाने पर उसके किया कम बारहबामण मुझ गुलाव द्वारा किये गये गुलाव को ही पगडी वधी ओर पुरी जमीन पर बतोर खातेदार काविज चला आ रहा था भूमि में झण्डू का नाम गलत दर्ज हो गया था जिसकी बजह से झण्डू के मरने पर 3/4 हिस्से की खातेदारी मेरे नाम दर्ज हो गई ओर 1/4 हिस्सें की देवीलाल नारायंण के नाम दर्ज हो गई जिसके सम्बंध में न्यायालय हाजा मे नारायण व देवीलाल ने मंगलवाई को बहला फुसला कर गलत आधार पर 1999 में दावा कर दिया जिसमें दिनांक 16.02.2018 को आपस में राजीनामा हो गया ओर मुझ गुलाव का काउण्टर क्लेम व देवीलाल वगै0 का दावा मुताविक राजीनामा खारिज हो गया केता प्रकाश पुत्र प्रभूलाल जाति माली को दावे मे पक्षकार नही वनाया है जो आवश्यक पक्षकार है। झण्डू के एक मात्र मंगलवाई लडकी थी इसके अलावा कोई लडका या लडकी नही थी जवावदारान को तंग व परेशान करने की दृष्टि से झण्डू की एक ओर लडकी रतनी बताते हुये वादीगण ने दावा किया है जबकि रतनी ना तो झण्डू की लडकी थी ना रतनी या झण्डू का सायलान से कोई ताल्लुक रहा है सायलान के कोई हकूक खातेदारी भूमि मे नही है ना कभी रहे है ना है सायलान का रतनी विवादित जमीन पर कभी भी काविज नही रहे है सायलान फर्जी तोर पर जमीन हडपने की गरज से झण्डू की लडकी बताते हुए सायलान ने दावा व प्रार्थनापत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

सायलान ने गैरसायलान नम्बर 3 ता 8 के जवाव प्रार्थनापत्र का जवावूल जवाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि दर्ज मुकदमा उनवानी नारायण वगै0 बनाम गुलाव वगै0 27/16 निर्णय दिनांक 16.07.2016 गलत है उक्त प्रकरण में वादीगण ने जानबूझ कर

Scanned with CamScanner

रतनी को पक्षकार नही बनाया दावा पक्षकारान रतनी व सायलान से छिपाते साजिशी पेश कर वरूये राजीनामा के हल करा लिया है जिसकी कोई जानकारी सायलान को जवाव पेश होने से पूर्व नही थी सर्वप्रथम जवाव पेश होने पर जानकारी हुई है पक्षकार ना होने से उक्त निर्णय सायलान पर बाध्यकारी नही है जिसके मात्र पक्षकारान पाबंद है। इस दुरूभीसंन्धी के तहत सस्थित वाद व उसकें निर्णय से लाभ गैरसायल नं0 4 ता 19 को प्राप्त नही होता है रतनी झंण्डू की पुत्री है गैरसायल नं0 3 की मॉ मंगलवाई व रतनी दोनो मॉ जाई बहीनें थी और दोनों का अपने पिता की जमीन में 1/2 –1/2 हिस्सा मुताबिक उतराधिकार अधिनियम के पुत्री होने के नाते है झण्डू की पुत्रीयों के जीवित होते हूए झण्डू के भाई लोहरें व रामहेत के वारिसान गैरसायल नं0 4 ता 19 के कोई हक विवादित भूमि में प्राप्त नही होते है। इन्होनें राजस्व कर्मियों से मिलकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम कतई गैरकानूनी रूप सें दर्ज कराये है जो हक हकूक सायलान पर शून्य बेअसर एवं प्रभावहीन है तीनों भाई अलग –अलग अपनी भूमियों कों काश्त करतें चलें आ रहे है दिनांक 02.01.2000 को मगलवाई द्वारा रामदयाल के हक में वसीयत कराने का कोई प्रश्न पैदा नही होता है मंगलवाई लावारिस ना होकर उसके पुत्र पुत्री मौजुद थे इसलिए मंगलवाई दूसरें व्यक्ति को वसीयत नही करा सकती गैरसायल नं0 3 को प्रलोभनवश गैरसायल नं0 4 ता 19 में अपने असम्यक असर में रखा है और उसके यह गलत जबावदेही कराई गयी है तथा कथित वसीयत फर्जी व कूट रचित गैरसायल नं0 5 ने अपने मिलने वाले लोगों की मदद से तैयार की है जो चलने येाग्य नही है। उक्त फर्जी वसीयत से कोई विविध अधिकार भूमि में उत्पन्न नही होते है विवादित भूमि एक मात्र झण्डू के खातेदारी की रही है सैटिलमेन्ट कर्मियों का बिना साक्ष्य न्यायालय को निर्णय के राजस्व इन्द्राज को चैन्ज करने का अधिकार नही होता है। गैरसायलान को भूमि विकय करने व निर्माण करने का अधिकार नही है। गैरसायलान को कोई अधिकार खरीद के आधार पर पैदा नही होते है अंत में प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है गैरसायल नं0 37 लैण्ड होल्डर द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नही किया है

अभिभाषकगणों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायल ने अपने बहस क[illegible] दोहराते हुए कथन कहा कि झण्डू गूल्बी का लडका है ,ख[illegible] जमाबंदी के अनुसार गूलबी के तीन लडके कमशः झण्डू राम[illegible] में रामहेत व लोहरे का कोई लेना देना नही है अपने हक में नामान्तक[illegible] करा लिया गया है आज विवादित आराजी गैरसायल नं0 4 ता 19 के नाम दर्ज है संवत 2013 में आराजी झण्डू नाम थी झण्डू के दो लडकी कमशः रतनी व मंगलवाई है हिन्दू उत्तरा अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

12

अधिनियम 1956 में बेटियों को समान अधिकार मिलता है संवत 2015 में गलत नाम दर्ज करने का सेटिलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नही है। झण्डू का विरासत नामान्तकरण गलत दर्ज की गई है गवाह श्री सोमा लाल पुत्र शिवलाल माली निवासी धनीराम सरपंच का पुरा करौली, मोती लाल पुत्र नागदा माली निवासी तीन दरवाजा करौली एवं स्वयं सायल साबू लाल एवं खुण्डी लाल पिसरान श्री रामलाल जाति माली निवासी रीठौली तहसील हिण्डौन सिटी ने अपने शपथ पत्र एवं पंचनामा में झण्डू की दो पुत्रिया रतनी व मंगलवाई होना बताया गया है साथ ही गंगाजी के पन्डा ने भी झण्डू की दो पुत्रिया होना प्रकट किया है हिन्दू उत्तरा अधिनियम 1956 के तहत पिता की भूमि में पुत्रो के साथ में पुत्रिया का समान अधिकार होता है झण्डू के लडका नही होने पर दो पुत्रिया रतनी व मंगलवाई है। सायलान की माता रतनी के हम पुत्र है हमारे नाना झण्डू की जायदाद में मॉ फौत हो जाने के बाद हमारे नाना की जमीन में 1/2 हिस्सा बनता है गैरसायलान को ताफैसला दावा तक पाबंद फरमाया जावें।

वकील गैरसायलान ने अपने बहस कथन में जबाव प्रार्थनों पत्रों को दोहराते हुए कथन किया कि झण्डू के मात्र एक लडकी मंगलवाई है सायलान ने झण्डू की लडकी रतनी होने का कोई वारिस का रिकार्ड पेश नही किया गया है भूमि गैरसायलान के नाम खातेदारी में है जिन्होने गैरसायलान सं0 20,21,21;22,23; और 28 एवं अन्य गैरसायलान को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के विकय किया गया है जो बौना फाईड केता है भूमि पर सायलान का कभी भी कब्जा नही रहा है झण्डू के मात्र एक लडकी मंगलवाई थी। मंगलवाई ने अपने जीवन काल में अपनी लडकी के समक्ष गैरसायलान नं0 3 के समक्ष गैरसायलान नं0 5 के नाम वसीयत करवाई गयी है जो गैरसायलान नं0 5 वसीयती वारिस है झण्डू 1977 में फौत हुआ था जिसका नियमानुसार विरासत का नामान्तकरण खोला गया है सायलान की माता रतनी पुत्री झण्डू , झण्डू के 1977 में फौत जाने से आज दिनांक तक चुप कैसे रही। दावा 2019 में पेश हुआ हैं। गैरसायल वकील ने गैरसायलान नं0 30 लगायत 36, 10 ,15 लगायत 19 ने बहस कथन में कहा है कि सायलान द्वारा प्रथम दृष्टता झण्डू के वारिस के संबंध में किसी प्रकार का सरकारी रिकार्ड आदि पेश नही किया गया है मात्र तंग करने की दृष्टि से यह दावा पेश किया हैं। गैरसायल नं0 1 व 2 ने वादी के [illegible] गैरसायलान नं0 30 लगायत 36 ने अपने बहस कथन मे जमाबंदी संवत 2010 [illegible] 2013 की [illegible] पेश की है उस पर ही अपना नाम चा[illegible] है जबकि खसरा [illegible] कोई राईट आफ रिकार्ड नही है गैरसायल नं0 4,5,10 [illegible] में विधिवत खातेदारी इन्द्राज हुई है गैरसायलान नं0 10 ता 19 को भूमि को विकय करने का एवं गैरसायलान नं0 9 व 21 ता 29 को भूमि कय करने का विधिक अधिकार है सायलान फर्जी वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(13)

झण्डू के बनकर रतनी को झण्डू की पुत्री बताते हुए भू माफियों से मिलकर दावा व प्रार्थना पत्र झूठे वादकरण व मनगढत पेश किये गये है. जो निराधार व असत्य है जब झण्डू 1977 में ही फौत हो गया तो सायलान की मॉ के द्वारा आज दिनांक तक वारिसान के संबंध में चुनौती सक्षम न्यायालय में क्यो नही दी गई है। सायलान का किसी प्रकार से प्राईमा फेसी साबित नही है तथा भूमि पर आदिनांक तक सायलान का कभी कब्जा नही रहा है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति व असुविधा नही हैं प्रार्थना पत्र सायलान का खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्षकारान अभिभाषकणों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि गुलबी के कमश तीन लडके झण्डू रामहेत व लोहरे थें जिसमें विवादित आराजी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड संवत 2015 में झण्डू के साथ साथ लोहरे व रामहेत तीनों के द्वारा संयुक्त काश्त करते एवं भूमि पैतृक होने पर वक्त सेटलमेन्ट लोहरे का नाम खातेदारी में सही दर्ज हुआ वल्कि रामहेत का नाम राजस्व कर्मियों से सहवन दर्ज करने से रह गया था जिसें झण्डू की सहममि से उसका नाम खातेदारी में झण्डू के जीवनकाल तक ही सही होना मानते हुए रिकार्ड दर्ज कराया गया। झण्डू ने अपने जीवन काल में कभी भी इस इन्द्राज की चुनौती नही दी है ना ही झण्डू की पुत्री मंगलवाई ने चुनौती दी है ना ही गैरसायलान नं0 3 ने चुनौती दी हैं रामहेत के वारिसान के हक में गुलाव से राजीनामा से खातेदारी इन्द्राज हुये है और गुलाब ने रामहेत का हिस्सा राजीनामा से स्वीकार किया है तीनो का समान हिस्सा 1/3 –1/3 सेटिलमेन्ट पूर्व 2010 से पूर्व से ही रहा है और झण्डू रामहेत लोहरे खातेदार काश्तकार उक्त आराजीयात के हमेशा हमेशा से रहे है। सायलान का जब भूमि में कोई हक नही है एवं गैरसायलान नं. 1 ता 3 का भी मंगलवाई द्वारा गैरसायलान नं0 5 को वसीयत नाम तहरीर तकमील करा देने से कोई हक हिस्सा नही रहा है। गैरसायल नं0 4 व 5, 10 ता 19 व 30 के हक में विधिवत खातेदारी इन्द्राज हुये है गैरसायलान 10 ता 19 को भूमि को विकय करने का एवं गैरसायल नं0 9 व 21 ता 29 को खातेदारी अधिकार होने पर भूमि विकय करने का विधिक अधिकार है।

सायलान द्वारा अपने आप को झण्डू के वारिस यानि साबिक खातेदार झण्डू की दो लडकी रतनी व मंगलवाई बताई गयी है जिसकें संबंध में गवाह श्री सोमा लाल पुत्र शिवलाल माली निवासी धनीराम सरपंच का पुरा करौली [illegible] पुत्र नागदा माली निवासी तीन दरवाजा करौली एवं स्वयं [illegible] बाबू लाल एवं [illegible]डी लाल पिसरान श्री रामलाल जाति माली निवासी रीठौली तहसील [illegible] अपने शपथ पत्र एवं पंचनामा में ही दो लडकी होना बताया गया है जो एक मौखिक साक्ष्य है गंगाजी के पन्डे के द्वारा जो लिखा पढी पेश की गयी है जो भी साक्ष्य में प्रमाणित नही है सायलान द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(14)

ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके की झण्डू के दो लडकी कमशः रतनी व मंगलवाई हो। अपने प्रार्थना पत्र में भी जो सजरा अंकित किया गया है वह भी गलत दर्ज है क्योकि इस न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) में रामहेत के लडके नारायण देवीलाल एवं झण्डू की पुत्री मंगलवाई के द्वारा दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का गुलाब पुत्र लोहरे के खिलाफ दिनांक 13.09.1999 को पेश किया है जिसमें भी रामहेत ने झण्डू के एक पुत्री मंगलवाई वारिस बनाकर पेश की गयी थी जो बाद में प्रकरण न्यायालय में सहायक कलक्टर मुख्यालय करौली में उनवानी नारायण बनाम गुलाव वगै0 मु0 नं0 27/2016 दर्ज होकर न्यायालय सहायक कलक्टर करौली में दिनांक 16.02.2018 को वादीगण व प्रतिवादीगण की आपसी राजीनामा हो जाने पर दावा वादी एवं प्रति दावा प्रतिवादी का नोट प्रेस में खारिज करा दिया गया है इस दावे में भी सायलान के द्वारा अपनी मॉ रतनी को झण्डू की पुत्री बता कर अपने आप को झण्डू के वारिसान बताये गये है जो गलत हैं। तथा विवादित आराजी के संबंध में मौके पर कब्जे संबंधी कोई ऐसा राजस्व दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससें यह साबित हो सके की विवादित जमीन पर सायलान की मॉ रतनी व स्वयं सायलान का कभी कब्जा रहा हो। जो खसरा गिरदावरी पेश की है जो रिकार्ड ऑफ राईट नही होते है।

मंगलवाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 02.01.2000 को 100 रूपयें के स्टाम्प पर गैरसायलान नं0 5 रामदयाल की सेवा से खुश होकर गैरसायल नं0 3 जो कि मंगलवाई पुत्री है। के समक्ष वसीयत नामा सोहनलाल माली से तहरीर कराकर अपना अगुठा निशानीकर कर गवाह बाबूलाल व दुर्गालाल माली करौली के गवाही के हस्ताक्षर कराकर उनकी उपस्थिति में वसीयतनामा को सुन व समझ कर सही होना बिना किसी दबाव के स्वच्छचित से स्वीकर कर कर वसीयत का उक्त गवाहन से अनुप्रमाणीकरण कराकर गैरसायल नं0 5 को गैरसायलान नं0 3 के समक्ष सुपूर्द करा दिया गया और दिनांक 02.01.2000 से मंगलवाई व झण्डू के हिस्से की आराजी पर गैरसायल नं0 5 काबिज रहा है गैरसायलान नं0 3 का भी भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है। इस प्रकार से मंगलवाई झण्डू की एक मात्र वारिस थी जिसनें गैरसायलान 5 के हक में वसीयतनामा कराने के बाद गैरसायल नं0 5 वसीयति वारिस है। तथा गैरसायल [illegible] अपने जबाव प्रार्थना पत्र में यह कथन कहा कि गैरसायलान [illegible] मोहरसिंह मेरी [illegible] मंगलवाई एंव मेरे नाना झण्डू के जीवनकाल में ही स्वर्गवास हो [illegible] झण्डू [illegible] के समय मंगलवाई के समय व यानि सुआवाई पुत्री मंगलवाई जीवित थे। मै ही मंगलवाई की एक ही पुत्री थी मेरी सहमति से मेरी मॉ ने गैरसायलान नं0 5 के हक में वसीयतनामा कराया गया था और काबिज जायदाद है गैरसायलान नं0 1 व 2 का भी हक हिस्सा भूमि में नही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(15)

सायलान के द्वारा मंगलवाई ने गेरसायलान के पक्ष में की गई वसियतनामा का भी किसी भी सक्षम न्यायालय में चाराजोही नही की गयी है। सायलान द्वारा अपनी माँ रतनी झण्डू की पुत्री होने बावत कोई भी सरकारी दस्तावेज पेश नही किये गये है। इस प्रकार से उक्त तथ्यों से यह साबित हो रहा है कि झण्डू के मात्र एक लडकी मंगलवाई है रतनी नाम की कोई लडकी झण्डू की नही रही है ना ही मंगलवाई की कोई सगी बहिन रतनी हो।

इसी संदर्भ में विवादित आराजी के मौके के संदर्भ में न्यायालय नें भू– अभिलेख निरीक्षक वृत करौली को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मोके की रिपोर्ट चाही गयी थी जिसमें मौका कमिश्नर ने न्यायालय में दिनांक 24.03.2021 को मोका फर्द पेश कर कथन कहा कि मोके पर खसरा नं0 9091 से 9093 व 9095 लगायत 9113 कुल किता 22 कुल रकवा 15 बीघा 06 विस्वा पक्षकारों की मौजुदगी में मोका देखा गया जिसमें खसरा नं0 9113 में एक दुकान बनी हुई है शेष रकवा मौके पर खाली पडे हुये है और पत्थरों की चारो तरफ दीवार बनी हुई है। की पेश की गई है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायलान द्वारा अपने आप को झण्डू के वारिसान राजस्व रिकार्ड के अनुसार साबित करने में नाकाम रहे है। ना ही भूमि पर किसी प्रकार का कभी कब्जा रहा हो ऐसा भी कोई राजस्व रिकार्ड पेश नही किया गया है। मात्र मोतीलाल माली, सोमालाल माली एवं स्वयं साबू मांली सायल के शपथ पत्र एवं पंचनामा व गंगाजी के पन्डा की लिखापढी की फोटो प्रति से किसी व्यक्ति का वारिस नही माना जा सकता है। जब विवादित आराजी के संबंध में सायलान अपने आप को प्राईमाफेसी एंव सुविधा का सन्तुलन साबित करने में नाकाम रहे है तो सायलान को विवादित आराजी में किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति एवं असुविधा नही होती है बल्कि वर्तमान में खातेदारण को असुविधा होने की संभावना बनती है। सायलान का प्रार्थना स्वीकार योग्य नही है।

अतः सायलान का प्रार्थना खिलाफ गैरसायलान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय से जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.02.2019 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे में शामिल हों।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.08.03 13:16:55 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्रसिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner